सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 17(ई)( )परावि/प्र.2/BFC/2009–10/949 जयपुर, दिनांक: 27/03/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने बाबत।
प्रसंगः विभागीय पत्रांक 689 दिनांक 05.03.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 की प्रतीक्षा सूची जारी कर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने बाबत गतिविधियों का प्रारम्भ करने हेतु लिखा गया था। उक्त की निरन्तरता में गतिविधियों के बिन्दु संख्या 2 व 3 के मध्य बिन्दु संख्या 2A व 2B निम्नानुसार जोड़ा जाता है:–

क.स.	गतिविधि	समयावधि
2A	उपरोक्त प्रारम्भिक प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित ऐसे संविदाकर्मी, जो वास्तविक नियोजन के लिये रिक्त पदो की सीमा में स्थान प्राप्त कर रहे है, उनके द्वारा यह शपथ पत्र लिया जाना है कि उनके द्वारा बोनस अंक किस जिला परिषद में उपयोग किया जावेगा तथा इच्छित जिला परिषद में अन्य जिला परिषदो को उसके द्वारा सूचित किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख होगा कि वह बोनस अंक इच्छित जिला परिषद में उपयोग में लेगा।	7 दिवस
2B	उपरोक्त कारणो से सूची में परिवर्तन होने के कारण संशोधित प्रतीक्षा सूची पुनः वेबसाईट पर डिस्प्ले की जावेगी तथा नवीन अभ्यार्थी, जो अब पुनः वास्तविक नियोजन सीमा के अन्तर्गत आ रहे है, उनके द्वारा उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने के पश्चात अन्तिम चयन सूची प्रकाशित की जावेगी एवं यह सुनिश्चित किया जावेगा कि जो संविदाकर्मी बोनस का उपयोग कर रहा है, वह केवल एक जिला परिषद की वास्तविक नियोजन सीमा में हो।	7 दिवस

शेष गतिविधियां यथावत रहेगी।

26/3

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त ।

26/3/2025

संयुक्त शासन सचिव एवं
संयुक्त आयुक्त